प्रकाशनार्थ

पटना, 22 दिसंबर। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का उद्देश्य विरासत के अधिकारों के मामले में महिलाओं को पुरुषों के बराबर रखना है। यह इस उम्मीद के साथ है कि महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व का लाभ मिलेगा। अमेरिका के स्क्रिप्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डा. नयना बोस ने कहा कि जब उन क्षेत्रों की बात आती है जहां बेटों को प्राथमिकता दी जाती हैए तो प्रजनन दर पर इस कानून का कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। वह आज एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट (आद्री) द्वारा आयोजित 'महिला सशक्तिकरण और प्रजनन क्षमता के बीच संबंधों का पुनर्मूल्यांकनः भारत से साक्ष्यश शीर्षक पर एक व्याख्यान दे रही थीं।

बिहार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि संशोधन पारित होने के आठ साल बाद भी महिलाओं की भूमि विरासत का हिस्सा केवल 8 प्रतिशत था जबकि आंध्र प्रदेश में यह 31 प्रतिशत था। डा. बोस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अपनी भलाई के लिए भूमि के स्वामित्व के मूल्य को समझने के बावजूद भी बिहार में केवल 10 प्रतिशत महिलाएं ही भूमि विरासत में लेना चाहती हैं। साथ ही 80 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में केवल 30 प्रतिशत महिलाएं ही हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बारे में जानती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक और पितृसत्तात्मक मानदंडों में निहित विश्वास के कारण बिहार में महिलाओं को विरासत के अधिकार से वंचित किया जाता है। क्योंकि माता-पिता और भाई नहीं चाहते कि परिवार की महिला सदस्यों को जमीन विरासत में मिले। यहां सामाजिक सहायता प्रणालियों का भी अभाव है। कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी और संस्थान भी इन सामाजिक प्रथाओं का पालन करते हैं। डा. बोस ने जागरूकता पैदा करके और महिला शिक्षा और रोजगार में सामाजिक

बाधाओं को कम करकेए इस कमी को दूर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दक्षिण भारत के पांच राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों पर हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए डा. बोस ने पाया है कि संपत्ति अधिकार सुधार से इन राज्यों में प्रजनन दर में 0.8 अधिक बच्चों की वृद्धि हुई है और बेटों के लिए अधिक प्राथमिकता रही है। इस अध्ययन से निकले अन्य निष्कर्षों से महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता में समग्र सुधार और घरेलू हिंसा के मामलों में कमी का पता चला है।

आद्री की सदस्य-सचिव डा. अस्मिता गुप्ता ने वक्ता का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन किया। भारत और विभिन्न देशों के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत रूप से और साथ ही वर्चुअली भी इस व्याख्यान में भाग लिया।

(अंजनी कुमार वर्मा)